पत्र संख्या – 3/स्था०(6) 15/2014 – 1353 /

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

1565
10/05/19

प्रेषक,

10 MAY 2019

मधुरानी ठाकुर (भा०प्र०से०),

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,

पंचायती राज विभाग,

बिहार, पटना।

पटना – 15, दिनांक – 09/5/19

विषय :– त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को निधि, दायित्व एवं कर्मियों के प्रतिनिधायन के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक 2850, दिनांक 30.04.2019.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक–पत्र के आलोक में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभागान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को निधि, दायित्व एवं कर्मियों के प्रतिनिधायन से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

9/5/19

सरकार के संयुक्त सचिव।

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को शक्ति के प्रतिनिधायन के संबंध में विहित प्रपत्र में पशुपालन निदेशालय का प्रतिवेदन :–

क्र०सं०	विवरण	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद
1	नीतिगत कार्य/कार्यक्रम जो सौंपे गये है।	i) खुरहा चपका रोग नियंत्रण ii) पशुपालन केन्द्र एवं कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र का रख–रखाव। iii) महामारी एवं छूत रोगों की रोकथाम । iv) मृत पशुओं का निस्तार। v) परिसंपत्तियों का रख–रखाव । vi)चारागाह का विकास।	i) पशु औषद्यालयों की योजना ii) पशु प्रजनन योजना. iii) पशु टीकाकरण योजना।	(i) पशु चिकित्सा (ii) पशु चारा एवं खादय विकास योजना।
2	कर्मी जो पंचायत के अधीन सौंपे गये है।	i) पशुधन सहायक	i) प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी ii) भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी	i) जिला पशुपालन पदाधिकारी ii) गहन पशु विकास प्रखण्ड एवं फ्रोजेन सीमेन बैंकों के पदाधिकारी।
3	कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण	मुखिया	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायत समिति।	उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद।
4	पर्यवेक्षकीय अधिकार	पंचायत समिति, जिला परिषद	जिला परिषद	उप विकास आयुक्त –सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी।
5	वित्तीय अधिकार	–	–	–
6	अन्य बिन्दु जो आवश्यक समझे जायें ॥			

गव्य विकास निदेशालय,

बिहार, पटना।

कंडिका— 5 से संबंधित प्रतिवेदन :—

क्र0	विवरण	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला स्तर
1	नीतिगत कार्य/कार्यक्रम जो सौंपे गये हैं (समग्र गव्य विकास योजना/ प्रशिक्षण की योजना)	—	—	वित्तीय वर्ष 2018—19 1. समग्र गव्य विकास योजना (02,04 एवं 10 दुधारू मवेशी की डेयरी इकाई: — लक्ष्य— 6465 इकाई, उपलब्धि— 1042 इकाई शेष इकाई का क्रियान्वयन जारी है। 2. प्रशिक्षण की योजना:— लक्ष्य— 12337 सदस्य, उपलब्धि— 11010 शेष का प्रशिक्षण जारी है।
2	कर्मी जो पंचायतों के अधीन सौंपे गये है	—	—	—
3	कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण	—	—	—
4	पर्यवेक्षकीय अधिकार	—	—	—
5	वित्तीय अधिकार	—	—	—
6	अन्य बिन्दु जो आवश्यक समझे जायें	—	—	—

निदेशक
गव्य विकास निदेशालय,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
(मत्स्य)

संख्या– म0 / योजना– 76 / 2008 / 1856 दिनांक 11/12/14

संकल्प

मछुआ आवास योजना के तहत राज्य के मछुआरों के लिए आवास, चापाकल एवं सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाता है। यह एक केन्द्रीय योजना है जिसके कार्यान्वयन के लिए 50 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार तथा 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। इस योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा दी गई प्रशासनिक स्वीकृति एवं निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाता है। इस योजना के लाभुकों का चयन जिला परिषद् के माध्यम से किए जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा विभागीय संकल्प संख्या– 5697 दिनांक 25.09.2001 के आलोक में किया गया था। केन्द्र सरकार की मार्गदर्शिका में इस संबंध में जिला परिषद् का उल्लेख नहीं था।

विभागीय संकल्प संख्या– 5697 दिनांक 25.09.2001 द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में जिला परिषद् के माध्यम से लाभुकों के चयन में विवाद होने अथवा विलंबित होने से इस योजना के तहत उपलब्ध राशि का समुचित उपयोग करने में कठिनाई होने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा विमुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं भौतिक उपलब्धि से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन ससमय भारत सरकार को नहीं भेजा जा सकता है जिसके फलस्वरूप योजना की अगली किस्त की राशि भारत सरकार द्वारा विमुक्त नहीं की जाती है। फलस्वरूप मछुआरों के इस कल्याणकारी योजना का समुचित लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा है।

3 अतः मछुआरों की इस कल्याणकारी योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या 5697 दिनांक 25.09.2001 की कंडिका– 1(ङ), जिसमें लाभुकों के चयन की शक्ति जिला परिषद् को दी गई है, को विलोपित करते हुए उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में निम्न रूपेण समिति गठित की जाती है:–

(क) उप विकास आयुक्त– अध्यक्ष

(ख) उप मत्स्य निदेशक(परिक्षेत्र)– सदस्य

(ग) सरकार के द्वारा मनोनीत एक प्रगतिशील मत्स्य कृषक के प्रतिनिधि– सदस्य

(घ) जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी– सदस्य सचिव।

आदेश : – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
उपसचिव
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

H:\OFFICE\Letters\Adhishuchana.Doc

(17)

District	Name & Address of Tube Well	Block	Panchayat Location of Tube Well	RIDF Phase	Requisition Amount (In Lakhs)	Allotment Amount (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7
	65.Patut Naya	Bikram	Patut	RIDF 20	0.50	0.243
	66.Pakaraudha Mil	Bikram	Patut	RIDF 20	0.50	0.243
	67.Ataula	Paliganj	Mauri Pirpura	RIDF 20	0.50	0.243
	68.Balipakad	Paliganj	Dharhara	RIDF 20	0.50	0.243
	69.Jawarpur Koriya	Dulhin Bazar	Sihi	RIDF 20	0.50	0.243
	70.Anandpur-55	Bihta	Anandpur	RIDF 20	1.00	0.486
	71.Janpara-101	Bikram	Saidabad	RIDF 20	1.00	0.485
				Total Patna	43.000	20.920
				Grand Total	486.500	236.714

3/4
7-661

ज्ञापांक 1856 मत्स्य/दिनांक 11/12/14

प्रतिलिपि:— प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पटना/ सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

उपसचिव
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

ज्ञापांक 1856 मत्स्य/दिनांक 11/12/14

प्रतिलिपि:— जिला पदाधिकरी, सभी/ उप विकास आयुक्त, सभी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उपसचिव
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

ज्ञापांक 1856 मत्स्य/दिनांक 11/12/14

प्रतिलिपि:— निदेशक मत्स्य/उप मत्स्य निदेशक, सभी/ जिला मत्स्य पदाधिकारी –सह– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सभी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उपसचिव
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

ज्ञापांक 1856 मत्स्य/दिनांक 11/12/14

प्रतिलिपि-- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय गुलजार बाग पटना सिटी को हार्ड कॉपी/सी.डी. के साथ सूचनार्थ प्रेषित एवं अनुरोध है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में मुद्रण करते हुए उसकी प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए।

उपसचिव
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रधान सचिव
पंचायती राज विभाग
गोपनीय कोषांग
गो०को०सं०... 4134
तिथि...... 30/5/19

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
संकल्प

संकल्प सं०-6 एस०एस०(6)06/2019-1464/पटना-15, दिनांक- 29/5/2019

विषय :- बिहार राज्य पंचायत राज व्यवस्था के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों यथ जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों को पशु एवं मत्स्य संसाध विभाग द्वारा कार्यों एवं शक्तियों का प्रतिनिधायन।

भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के पश्चात् अधिनियमित बिहार पंचायत र अधिनियम 1993 की धारा 22, 45 एवं 71 तथा अधिनियम 2006 में निहित प्रावधा के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों यथा- जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायतों व पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा निम्न प्रकार से कार्यों एवं शक्तियों के प्रतिनिधाय का निर्णय लिया गया है :-

1. **जिला परिषद् का कार्य/शक्ति**

i निम्न योजनाओं के अधीन लाभूकों का चयन एवं योजनाओं का पर्यविक्ष जिला परिषद् के द्वारा किया जायेगा।

(क) पशु चिकित्सा।
(ख) चारा एवं खाद्य विकास योजना।
(ग) समग्र गव्य विकास की योजना।
(घ) प्रशिक्षण की योजना।
(ङ) तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार की योजना।
(च) मत्स्य फसल बीमा योजना।
(छ) मन/चौर विकास की योजना।
(ज) समेकित बकरी विकास की योजना।

जिला परिषद्, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत को सौपे गये कार्यों का अनुश्रवण त पर्यविक्षण करेगी तथा आवश्यक निदेश दे सकेगी।

निम्न पदाधिकारियों को उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकार जिला परिषद् के अनुमोदन से आकस्मिक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुम प्रदान करेंगे तथा ये पदाधिकारी जिला परिषद् द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेंगे :

(क) जिला पशुपालन पदाधिकारी।
(ख) जिला गव्य विकास पदाधिकारी।
(ग) जिला मत्स्य विकास पदाधिकारी।
(घ) राज्य मुख्यालय स्थित वृहद पशु विकास परियोजना (पशु विकास) फ्रोजे सीमेन बैंक-सह-बुल स्टेशन को छोड़ कर शेष प्रक्षेत्रों के जिलास्तरी पदाधिकारी।

विभागीय बैठक में भाग लेने हेतु पदाधिकारियों को मुख्यालय छोड़ने की अनुम लेने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु सूचना देनी होगी।

2. **पंचायत समिति का कार्य/शक्ति**

i पंचायत समिति निम्न योजनाओं के अधीन लाभूकों का चयन तथा योजनाअ का पर्यविक्षण करेगी।

(क) पशु औषधालय की योजना।
(ख) पशु प्रजनन की योजना।
(ग) पशु टीकाकरण की योजना।
(घ) प्रशिक्षण की योजना।

(13)

पंचायत समिति ग्राम पंचायतों को सौपे गये कार्यों का अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण करे तथा आवश्यक निदेश दे सकेगी।

पंचायत समिति के प्रमुख के अनुमोदन से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति द्वारा निम्न पदाधिकारियों को आकस्मिक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जायेगी एवं वे पंचायत समिति द्वारा बुलाई गई बैठकों में भाग लेंगे-

(क) प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी।
(ख) भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी।
(ग) मत्स्य प्रसार पदाधिकारी।

विभागीय बैठक में भाग लेने हेतु पदाधिकारियों को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु सूचना देनी होगी।

3. <u>ग्राम पंचायत का कार्य एवं शक्ति</u>

i ग्राम पंचायत निम्न योजनाओं के अधीन लाभूकों का चयन एवं योजनाओं का प्रवेक्षण करेगी

(क) पशु विकास की योजना।
(ख) खुरहा-चपका रोग नियंत्रण।
(ग) पशुपालकों, मत्स्य कृषकों एवं गव्य पालकों को प्रशिक्षण हेतु चयन।
(घ) पशुपालन केन्द्र तथा कृत्रिम गर्भाधान का रख-रखाव।
(ड) महामारी एवं छूत रोगों की रोकथाम।
(च) मृत पशुओं का निस्तारण।
(छ) परिसम्पत्तियों का रख-रखाव।
(ज) अनुदान के मुल्य पर दुधारू मवेशियों का वितरण।
(झ) मत्स्य फसल बीमा योजना।
(ञ) मन/चौर विकास।

ग्राम पंचायत के मुखिया के अनुमोदन के पश्चात् ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित पशुधन साहयकों एवं अन्य कर्मियों का आकस्मिक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति निर्गत की जायेगी। तथा उन्हें ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा निर्गत अनुपस्थिति प्रतिवेदन के आधार पर वेतन भुगतान उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। विभागीय बैठक में भाग लेने हेतु कर्मियों को मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु सूचना देनी होगी।

4. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु शक्तियों का प्रतिनिधायन एकरूपता के दृष्टिकोण से निम्न प्रकार से किया जाता है :-

क्र०	विवरण	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	जिला परिषद्
1	नीतिगत कार्य/कार्यक्रम जो सौंपे गये हैं।	लाभूकों का चयन एवं योजनाओं का पर्यवेक्षण।	लाभूकों का चयन एवं योजनाओं का पर्यवेक्षण।	लाभूकों का चयन एवं योजनाओं का पर्यवेक्षण।
2	कर्मी जो पंचायतों के अधीन सौंपे गये हैं।	ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित कर्मियों एवं पदाधिकारियों	पंचायत स्तर पर पदस्थापित कर्मियों/पदाधिकारियों	जिलास्तरीय पदाधिकारियों
3	कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण।	कर्मियों/पदाधिकारियों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना।	कर्मियों/पदाधिकारियों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना।	कर्मियों/पदाधिकारियों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करना।
4	पर्यवेक्षकीय अधिकार।	ग्राम पंचायत स्तरीय योजनाओं का पर्यवेक्षण।	पंचायत स्तरीय योजनाओं का पर्यवेक्षण।	जिला स्तरीय योजनाओं का पर्यवेक्षण।

5	वित्तीय अधिकार।	विभागीय पदाधिकारियों को।	विभागीय पदाधिकारियों को।	विभागीय पदाधिकारियों को।
6	अन्य बिन्दु जो आवश्यक समझे जायें।	-	-	-

5. ग्राम पंचायत स्तर पर चयनित लाभूकों की सूची पंचायत समिति के माध्यम जिला परिषद् की संस्तुती के उपरान्त जिलास्तरीय कार्यालयों को अग्रेत्तर कार्रव हेतु उपलब्ध कराई जायेगी।
6. यह संकल्प पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या-5697, दिनांक-25 सितम्बर, 2001 व स्थान ग्रहण करेगी।
7. संकल्प प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश : यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधार अंक में आम जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश

28/5/19

(डा० एन० विजयलक्ष्मी)
सरकार के सचिव

ज्ञाप सं०-6 एस०एस०(6)06/2019-1464 /पटना-15, दिनांक- 29/5/2019

प्रतिलिपि :- अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को राजकी गजट में प्रकाशित करने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित। प्रकाशित संकल्प की 100 प्रति अद्योहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करायी जाय।

28/5/

सरकार के सचिव

ज्ञाप सं०-6 एस०एस०(6)06/2019-1464 /पटना-15, दिनांक- 29/5/2019

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव ग्रामीण विकास विभाग (ग्राम्य अभियंत्राण संगठन, पंचायत राज), बिहार, पटना व सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

28/5/1

सरकार के सचिव

ज्ञाप सं०-6 एस०एस०(6)06/2019-1464 /पटना-15, दिनांक- 29/5/2019

प्रतिलिपि :- निदेशक, पशुपालन/निदेशक, गव्य/निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि इसे अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अनुपालनार्थ संसूचित कर देंगे।

28/5/19

सरकार के सचिव

(20)